न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/388/2012

उनवान

1. श्रीमती शान्ता देवी पत्नी विश्वनाथ शर्मा निवासी शाहजी का मोहल्ला भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती शान्ता बाई पत्नी घनश्याम ब्राह्मण निवासी बिजौलिया हाल निवासी ईरास, भीलवाड़ा मृतक के बजायः—

1/1—श्री घनश्याम पिता कल्याणमल पाण्डे

1/2—श्री विद्यासागर पिता घनश्याम पाण्डे

1/3—श्री रामचन्द्र पिता घनश्याम पाण्डे

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 30/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2012

अधिवक्तागण :—

1. श्री एस0एल0आगाल , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री आर0एल0विजयवर्गीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1/1—1/3
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.9.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीया/प्रत्यर्थीया स्व0 शान्ताबाई के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया ने श्री छोगालाल पुत्र रंगलाल नाई से ग्राम ईरास की दिनांक 02.06.1965 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा निम्न

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजीयात क्रय की जिसके आराजी नम्बर 1646/6 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, आ0नं0 2337/2 रकबा 06 बिस्वा, आ0नं0 2338/1 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा कुल कीता 3 कुल रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा मौजा ईरास में स्थित है। उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण वादीया के नाम पर दिनांक 26.07.1965 को खोला गया जिसके द्वारा छोगालाल के स्थान पर वादिया को रेवेन्यू रेकार्ड में कृषक रूप में नाम अंकित किया गया तभी से उक्त आराजीयात पर आधिपत्य वादिया का खातेदार की हैसियत से चला आ रहा है।

2. उपरोक्त वर्णित आराजीयात के सेटलमेन्ट के पूर्व के नम्बर तत्पश्चात सेटलमेन्ट हुआ जिसमें उक्त आराजीयात के नम्बर 3513 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, आ0नं0 3514 रकबा 04 बिस्वा, आ0नं0 3515 रकबा 08 बिस्वा, आ0नं0 3516 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल कीता 4 कुल रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा को वादीया के नाम पर खाते में अंकित किया गया। सेटलमेन्ट में जरीब बढ जाने से वाद वर्णित आराजीयात का क्षेत्रफल भी 04 बीघा 11 बिस्वा से कम होकर 03 बीघा 18 बिस्वा रहना चाहिए किन्तु सेटलमेन्ट की गलती से वादीया के नाम पर उक्तानुसार 03 बीघा 12 बिस्वा भूमि ही अंकित की गई जबकि वादीया के नाम पर 03 बीघा 18 बिस्वा भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। वादीया का 03 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर ही सेटलमेन्ट के पूर्व से ही उक्त खरीद से चला आ रहा है।

3. यह कि वादीया की आ0नं0 1646/6 में से 06 बिस्वा भूमि बिना किसी आधार के सेटलमेन्ट की गलती से प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 3512 में मिला दी गई जबकि प्रतिवादी की आराजी संख्या सेटलमेन्ट के पूर्व के नम्बरों के अनुसार आ0नं0 1646/6 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आ0नं0 2337/2 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा कुल कीता 02 कुल रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा के वर्तमान

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 3528 रकबा 04 बिस्वा, आ0नं0 3529 रकबा 01 बीघा, आ0नं0 3530 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, आ0नं0 3512 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, कुल कीता 04 कुल रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा सेटलमेन्ट के दौरान बने इस प्रकार प्रतिवादीया के नाम पर 03 बीघा 18 बिस्वा के स्थान पर 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि अंकित कर दी गई। इस प्रकार प्रतिवादीया के नाम पर वादीया की 06 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज कर दी गई। जिसे वादीया प्रतिवादीया के नाम से हटाकर वादीया अपने नाम अंकित कराने की अधिकारी है।

4. यह कि वादीया को इसकी जानकारी अक्टूबर 2009 में राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां प्राप्त करने से हुई। प्रतिवादिया के नाम 06 बिस्वा अधिक दर्ज भूमि को पुनः वादीया के नाम दर्ज कराने हेतु वादीया ने प्रतिवादिया को मौखिक तौर पर कहा तो प्रतिवादीया नहीं मान रही इसलिए वादीया को यह घोषणा का वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

5. अतः वादीया की प्रार्थना है कि वादीया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीया यह घोषित कराया जावे कि वादीया के खाते को 06 बिस्वा भूमि प्रतिवादीया के खाते में अंकित हो गई है जिसे वादीया पुनः अपने खाते में अंकित कराने की अधिकारिणी होने रेवेन्यू रेकार्ड में 06 बिस्वा भूमि कम की जाकर 06 बिस्वा भूमि वादीया के खाते में अंकित की जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

6. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण पारित अपीलाधीन निर्णय में वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.09.2012 से अपीलार्थीया की खाते की आराजीयात में से 06 बिस्वा रकबा कमी किया जाकर वादीया/रेस्पोडेन्ट सं0 1 के खाते में दर्ज किए जाने का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 का कोई कब्जा अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में नहीं है न ही रेस्पोडेन्ट सं0 1 के खातेदारी की भूमि अपीलार्थी की आ0नं0 3512 में सम्मिलित हुई है। अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 के साबिक नम्बर अलग–अलग है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया/रेस्पोडेन्ट सं0 1 के वाद को डिक्री किया जो कानून के खिलाफ होने के कारण निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादीया/रेस्पोडेन्ट सं0 1 का वाद मियाद बाहर होने के कारण दावा खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने मियाद का कोई वर्णन नहीं किया। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय निरस्त फरमावें।

10. रेस्पोडेन्टगण के योग्य अधिवक्ता के द्वारा बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को विधिवत सुनने व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन पश्चात ही वादीया का वाद विधिवत डिक्री किया गया है। अपीलार्थीया की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

02.06.1965 में श्री छोगालाल पिता रंगलाल नाई सा0 नई ईरास ने ग्राम नई ईरास की आ0नं0 1646/6ख रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, आ0नं0 2337/2ख रकबा 06 बिस्वा, आ0नं0 2338/1 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा कुल कीता 3 कुल रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा को श्रीमती शान्ताबाई पत्नि घनश्याम लाल ब्राह्मण निवासी बिजौलिया तहसील माण्डलगढ को विक्रय किया जाना स्पष्ट होता है। जिसकी ताईद में नामान्तरकरण संख्या 438 दिनांक 26.07.1965 स्वीकृत हुआ जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति पत्रावली में संलग्न है। इसी प्रकार साबिक आ0नं0 1646/6ख रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, व आ0नं0 2337/2क रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कीता 2 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि श्री केशरसिंह पिता रूगनाथ सिंह राजपूत चुण्डावत के द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 01.07.1965 से श्रीमती शान्ता जोजे विश्वनाथ शर्मा ब्राह्मण निवासी भीलवाड़ा को विक्रय किया जाना पत्रावली में प्रस्तुत पंजीकृत विक्रयपत्र की प्रमाणित फोटो प्रति से होती है। खसरा भूप्रबन्ध सम्वत् 2026 के अनुसार साबिक आ0नं0 1646/6ख व 2338/1 से हाल नम्बर 3513 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा व आ0नं0 3516 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा तथा आ0नं0 1646/6ख से हाल नम्बर 3514 रकबा 04 बिस्वा व आ0नं0 3515 रकबा 08 बिस्वा बनना स्पष्ट होता है जो नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 में श्रीमती शान्ताबाई पत्नि घनश्याम लाल ब्राह्मण निवासी बिजौलिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार साबिक आ0नं0 1646/6ख व 2337/2ख के हाल नम्बर 3512 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, साबिक आ0नं0 1646/6क व 2337/2क से हाल नम्बर 3528 रकबा 04 बिस्वा, आ0नं0 3529 रकबा 1 बीघा, आ0नं0 3530 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा तथा साबिक आ0नं0 1646/1क के हाल नम्बर 3532 रकबा 1 बीघा बनना स्पष्ट होता है जो नकल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 में श्रीमती शान्ति जोजे विश्वनाथ शर्मा ब्राह्मण साकिन भीलवाड़ा के नाम खातेदारी से दर्ज है। इस प्रकार वर्तमान नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 में आ0नं0 3513, 3514, 3515, 3516 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि श्रीमती शान्ताबाई जोजे घनश्यामलाल ब्राह्मण सा0 बिजौलिया हाल भीलवाड़ा के नाम खातेदारी से अंकित है तथा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 में आ0नं0 3512, 3528, 3529, 3530, 3532 कुल रकबा 5 बीघा 04 बिस्वा भूमि श्रीमती शान्ति जोजे विश्वनाथ शर्मा ब्राह्मण सा0 भीलवाड़ा के नाम खातेदारी से दर्ज है।

12. खसरा भूप्रबन्ध सम्वत् 2026 से वादीया एवं प्रतिवादीया द्वारा खरीदे गए साबिक रकबे का तुलनात्मक अध्ययन किए जाने पर यह स्पष्ट होता है कि वादीया/रेस्पोडेन्ट स्व0 शान्ताबाई पत्नि घनश्यामलाल ब्राह्मण नि0 बिजौलिया के द्वारा खरीद रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा था जिसके हाल नम्बर 3513, 3514, 3515, 3516 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा बने जो नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 में दर्ज है एवं अपीलार्थी/प्रतिवादी सं0 1 शान्ति जोजे विश्वनाथ शर्मा ब्राह्मण निवासी भीलवाड़ा के द्वारा भी साबिक रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा खरीदा जिसके हाल नम्बर 3512, 3528, 3529, 3530,3532 कुल रकबा 5 बीघा 04 बिस्वा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 में खातेदारी से दर्ज है। अपीलार्थीया के द्वारा आ0नं0 3529 अलग से क्रय की गई है जिसका रकबा 1.00 बीघा भूमि है उक्त रकबा एवं आ0नं0 3529 को खाते में दर्ज आराजी में से कमी किया जावे तो अपीलार्थी/प्रतिवादी सं0 1 शान्ति जोजे विश्वनाथ शर्मा ब्राह्मण निवासी भीलवाड़ा के नाम आ0नं0 3512, 3528, 3530,3532 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा शेष रहता है। इस प्रकार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादीया/रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हाल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं0 1/अपीलार्थी के नाम दर्ज हाल रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीया सं0 1/अपीलार्थीया के खाते में से 06 बिस्वा भूमि कमी की जावे तो 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि रह जाएगी तथा उक्त 06 बिस्वा रकबा वादीया/रेस्पोडेन्टगण के खाते में शामिल किया जाता है तो कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा बन जाएगा इस प्रकार साबिक रकबे 4 बीघा 11 बिस्वा के मुकाबले हाल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा सही दर्ज हो जाएगा। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीया/प्रतिवादीया सं0 1 के खाते में से 06 बिस्वा भूमि वादीया/रेस्पोडेन्ट स्व0 शान्तिबाई पत्नि घनश्यामलाल ब्राह्मण साकिन बिजौलिया हाल भीलवाड़ा के खाते में सम्मिलित करते हुए खातेदार घोषित किए जाने का निर्णय व डिक्री पारित की है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं पाते हैं।

13. अतः अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है। एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2012 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

14. निर्णय आज दिनांक 27.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/388/2012

उनवान

1. श्रीमती शान्ता देवी पत्नी विश्वनाथ शर्मा निवासी शाहजी का मोहल्ला भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती शान्ता बाई पत्नी घनश्याम ब्राह्मण निवासी बिजौलिया हाल निवासी ईरास, भीलवाड़ा मृतक के बजायः–
   1/1–श्री घनश्याम पिता कल्याणमल पाण्डे
   1/2–श्री विद्यासागर पिता घनश्याम पाण्डे
   1/3–श्री रामचन्द्र पिता घनश्याम पाण्डे
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 30/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2012

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/388/2012** मे **उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्की जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 27.09.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एस0एल0आगाल प्रत्यर्थी संख्या 1/1 से 1/3 के वकील श्री आर0एल0विजयवर्गीय एवं प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 27.09.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2012 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

9 TA / 388 / 2012 शान्तादेवी बनाम शान्ताबाई

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

27/9/15

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा